संख्या-556/2023/850/22-2-2023-17(394)/2016

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 29 अगस्त, 2023

विषयः- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पातीराम पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी जनपद-पीलीभीत की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3000/प्रो0अनु0(2)-241/2023 (बैठक दिनांक 24.01.2023), दिनांक 01.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पातीराम पुत्र श्री रामचन्द्र, ग्राम-मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बन्दी के सह अभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी, रामस्वरूप ने लालता प्रसाद को सपरिवार धमकी दी, तुम लोगों ने वोट नहीं दिया इसका नुकसान तुम्हे भुगतना पड़ेगा। इसी चुनावी रंजिश में दिनांक-10-03-2001 को सायंकाल 5:00 बजे 34 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बन्दूक, देसी तमंचा, बांका, सूजा लाठी, बल्लम से हमला कर दिया जिसमें 05 लोगों की मृत्यु हो गयी तथा 07 अन्य घायल हो गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002,227/2002 में भा0द0वि0 की धारा- 148,436/149, 307/149, 302, 506 आई0पी0सी0, 7 सी0आर0एल0ए0 एक्ट, 4/25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज एस0सी0/एस0टी0एक्ट, पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-23-09-2005 द्वारा निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावस की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.12.2022 तक 21 वर्ष, 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 05 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 25.12.2022 तक 47 वर्ष 02 माह 26 दिन है।

जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने अभिमत दिनांक 16-12-2022 में अंकित किया गया है कि 'सिद्धदोष बन्दी पातीराम पुत्र श्री रामचन्द्र यदि जेल मैनुअल के अनुसार 14 वर्षीय नामिनल रोल हेतु समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में विधिक अर्हता रखता है, तो प्रशासन इस हेतु जेल मैनुअल तथा सुसंगत प्राविधानों के अधीन कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सलाहकार समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। समिति का अभिमत है कि बंदी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी, रामस्वरूप ने लालता प्रसाद को सपरिवार धमकी दी तुम लोगों ने वोट नहीं दिया इसका नुकसान तुम्हे भुगतना पड़ेगा। इसी चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को सांयकाल 5:00 बजे 34 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बंदूक, देसी तमंचा, बांका, सूजा, लाठी, बल्लम से हमला कर 05 व्यक्तियों की हत्या कर 07 अन्य लोगों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 16-12-2022 स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पातीराम पुत्र रामचन्द्र को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पातीराम (बन्दी संख्या-15546) पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी जनपद-पीलीभीत की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-556/2023/850(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।